

HINDI FILE



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY PRACTICE QUESTIONS

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **AUGUST 6, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

दैनिक अभ्यास प्रश्न - स्थैतिक भाग से

प्रश्न 1. उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव आनुवंशिक राजतंत्र के बढ़ते महत्व के साथ हुआ, हालांकि सभा और समिति का अस्तित्व बना रहा।
2. राजसूय यज्ञ मुख्य रूप से विदेशी क्षेत्रों पर सैन्य विजय का प्रतीक था, न कि अपनी प्रजा द्वारा राजा की संप्रभुता की अनुष्ठानिक मान्यता का।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
(b) दोनों दो
(c) न तो 1 और न ही 2
(d) 1 और 2 दोनों

उत्तर: (a) केवल एक

स्पष्टीकरण:

- **कथन 1 सही है।** उत्तर वैदिक काल के दौरान, जनजातीय राजनीति धीरे-धीरे क्षेत्रीय राज्यों (जनपदों) में बदल गई। राजतंत्र उत्तरोत्तर आनुवंशिक हो गया, हालांकि सभा और समिति जैसी सभाएं घटते प्रभाव के साथ जीवित रहीं।
- **कथन 2 गलत है।** राजसूय मुख्य रूप से राजा के अधिकार को उसके राज्य पर वैध बनाने वाला एक शाही राज्याभिषेक अनुष्ठान था। हालांकि सैन्य सफलता ने प्रतिष्ठा बढ़ाई, लेकिन अनुष्ठान स्वयं मुख्य रूप से विदेशी विजय का जश्न मनाने के लिए नहीं था।

मूल्य संवर्धन:

- अश्वमेघ साम्राज्यवादी सर्वोच्चता का प्रतीक था।
- वाजपेय ने शाही शक्ति और समृद्धि पर जोर दिया।
- जनजातीय संस्थाओं का पतन राज्य गठन की ओर संक्रमण को चिह्नित करता है।

प्रश्न 2. निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र सेवा को आम तौर पर मिट्टी की उर्वरता में सुधार करते हुए वायुमंडलीय कार्बन को स्थिर करने के लिए सबसे प्रभावी दीर्घकालिक प्राकृतिक तंत्र माना जाता है?

- (a) प्रवाल भित्ति कैल्सिफिकेशन (Coral reef calcification)
(b) पीटभूमि निर्माण (Peatland formation)
(c) मैंग्रोव लिटर अपघटन (Mangrove litter decomposition)

(d) उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की चराई (Tropical grassland grazing)

उत्तर: (b) पीटभूमि निर्माण (Peatland formation)

स्पष्टीकरण:

- पीटभूमि जलमग्न परिस्थितियों में आंशिक रूप से विघटित कार्बनिक पदार्थों को जमा करती है, जो हजारों वर्षों के लिए कार्बन की भारी मात्रा को बंद कर देती है।
- वे हाइड्रोलॉजिकल विनियमन में सुधार करते हुए दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय कार्बन सिंक में से एक के रूप में कार्य करते हैं।
- प्रवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का भंडारण करती हैं लेकिन प्रमुख दीर्घकालिक स्थलीय कार्बन सिंक नहीं हैं।
- मैंग्रोव लिटर अपेक्षाकृत तेजी से विघटित होता है जब तक कि उसे दफनाया न जाए।
- अकेले घास के मैदान की चराई स्थायी कार्बन पृथक्करण सुनिश्चित नहीं करती है।

मूल्य संवर्धन:

- हालांकि पीटभूमि पृथ्वी की भूमि की सतह का केवल एक छोटा सा अंश घेरती है, वे वैश्विक मिट्टी के कार्बन की असंगत रूप से बड़ी मात्रा का भंडारण करती हैं।

प्रश्न 3. भारत में पूंजी बाजार उपकरणों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राइट्स इश्यू (Rights issue) आवश्यक रूप से तभी चुकता शेयर पूंजी बढ़ाता है जब मौजूदा शेयरधारक ऑफ़र किए गए शेयरों की सदस्यता लेते हैं।
2. योग्य संस्थागत नियोजन (QIP) केवल सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा ही शुरू किया जा सकता है।
3. बोनस शेयर अपने भंडार को बदले बिना जारी करने वाली कंपनी के लिए ताजा पूंजी जुटाते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

उत्तर: (b) केवल दो

स्पष्टीकरण:

- **कथन 1 सही है।** राइट्स शेयर चुकता पूंजी को केवल उस सीमा तक बढ़ाते हैं जिस सीमा तक शेयरों की वास्तविक सदस्यता ली जाती है।
- **कथन 2 सही है।** SEBI विस्तृत सार्वजनिक निर्गम प्रक्रियाओं के बिना योग्य संस्थागत खरीदारों से पूंजी जुटाने के लिए केवल सूचीबद्ध कंपनियों के लिए QIPs की अनुमति देता है।

- **कथन 3 गलत है।** बोनस शेयर भंडार को पूंजीकृत करके जारी किए जाते हैं। वे कंपनी में ताजा धन नहीं लाते हैं; भंडार घटता है जबकि शेयर पूंजी बढ़ती है।

मूल्य संवर्धन:

- राइट्स इश्यू → मौजूदा शेयरधारक।
- QIP → संस्थागत निवेशक।
- बोनस इश्यू → भंडार का पूंजीकरण।
- तरजीही इश्यू (Preferential Issue) → चयनित निवेशक।

प्रश्न 4. राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है, भले ही संविधान स्पष्ट रूप से ऐसे आरक्षण को अनिवार्य न करता हो।
2. एक बार जब कोई राज्य विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित हो जाता है, तो राज्यपाल के पास उस आरक्षण को वापस लेने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं होता है।
3. राष्ट्रपति एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्रत्येक आरक्षित विधेयक पर अपनी सहमति देने या सहमति रोकने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है।
4. राज्यपाल पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका द्वारा पारित धन विधेयक को वापस कर सकता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर: (b) केवल दो

स्पष्टीकरण:

- **कथन 1 सही है।** अनुच्छेद 200 उन मामलों से परे कुछ विधेयकों को आरक्षित करने के लिए विवेकाधीन गुंजाइश देता है जहां आरक्षण अनिवार्य है।
- **कथन 2 सही है।** आरक्षण के बाद, मामला अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास जाता है; राज्यपाल बाद में विधेयक को वापस नहीं बुला सकता है।
- **कथन 3 गलत है।** संविधान राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है।
- **कथन 4 गलत है।** पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा धन विधेयक वापस नहीं किया जा सकता है।

मूल्य संवर्धन:

- अनुच्छेद 200 → विधेयकों के संबंध में राज्यपाल के विकल्प।
- अनुच्छेद 201 → आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति का विचार।
- हाल की संवैधानिक बहसें राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा सहमति में देरी पर केंद्रित रही हैं।

प्रश्न 5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

अभिकथन (A): दुनिया के अधिकांश प्रमुख गर्म रेगिस्तान 20°–30° अक्षांश के आसपास उपोष्णकटिबंधीय पेटी में पाए जाते हैं।

कारण I: हैडली सेल से जुड़ी उतरती हवा लगातार उच्च दबाव वाली स्थिति पैदा करती है जो बादलों के निर्माण को रोकती है।

कारण II: इन क्षेत्रों में पूरे वर्ष भूमध्यरेखीय कम दबाव प्रणालियों से प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है।

निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) अभिकथन सही है, कारण I सही है, और कारण II अभिकथन की सही व्याख्या है, लेकिन कारण II गलत है।
- (b) अभिकथन सही है, कारण I और कारण II दोनों सही हैं, लेकिन केवल कारण II अभिकथन की व्याख्या करता है।
- (c) अभिकथन गलत है, लेकिन कारण I और कारण II दोनों सही हैं।
- (d) अभिकथन सही है, लेकिन कारण I और कारण II दोनों गलत हैं।

उत्तर: (a) अभिकथन सही है, कारण I सही है, और कारण II अभिकथन की सही व्याख्या है, लेकिन कारण II गलत है।

स्पष्टीकरण:

- **अभिकथन सही है।** सहारा, अरब, कालाहारी, ऑस्ट्रेलियाई और अटाकामा जैसे रेगिस्तान उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव पेटी में केंद्रित हैं।
- **कारण I सही है।** उतरती शुष्क हवा संघनन और वर्षा को रोकती है, जिससे शुष्क जलवायु परिस्थितियाँ पैदा होती हैं।
- **कारण II गलत है।** भूमध्यरेखीय कम दबाव प्रणालियाँ भूमध्य रेखा के पास भारी वर्षा पैदा करती हैं, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव पेटी में नहीं।

मूल्य संवर्धन:

- उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तान मुख्य रूप से वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण के परिणामस्वरूप होते हैं।
- ठंडी महासागरीय धाराएँ और महाद्वीपीयता (continentality) शुष्कताओं को और तीव्र कर सकती हैं, लेकिन हैडली सेल प्रमुख वैश्विक नियंत्रण बनी हुई है।

दैनिक अभ्यास प्रश्न – करंट अफेयर्स अनुभाग से

1. हाल ही में यूनेस्को (UNESCO) की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए **सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल** के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ पर मूल रूप से ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों लिपियों में शिलालेख उत्कीर्ण थे, जो मौर्य प्रशासन की सार्वभौमिक (कॉस्मोपॉलिटन) प्रकृति को दर्शाते हैं।
- सारनाथ का 'उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य' (Outstanding Universal Value - OUV) इसके पुरातात्विक अवशेषों और बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र घटनाओं में से एक के साथ इसके निरंतर जुड़ाव, दोनों से जुड़ा हुआ है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- न तो 1 और न ही 2
- 1 और 2 दोनों

उत्तर: (a)

व्याख्या

- कथन 1 गलत है।** सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। इस स्तंभ पर कोई खरोष्ठी शिलालेख नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) अक्सर उत्तर-पश्चिम भारत में पाए जाने वाले अशोक के शिलालेखों और गंगा के मैदानों में पाए जाने वाले शिलालेखों के बीच भ्रम की परीक्षा लेता है।
- कथन 2 सही है।** यूनेस्को ने सारनाथ को न केवल इसके पुरातात्विक अवशेषों के कारण मान्यता दी है, बल्कि इसलिए भी दी है क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश (धर्मचक्रप्रवर्तन सुत्त) दिया था।

2. निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में शुरू की गई **कार्पोरेट मित्र योजना (Corporate Mitra Scheme)** को पारंपरिक सरकारी वित्तीय सहायता कार्यक्रमों से सबसे अच्छी तरह अलग करता है?

- यह प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के बजाय मुख्य रूप से संस्थागत मार्गदर्शन (मेंटॉरशिप), व्यावसायिक एकीकरण और बाजार तक पहुंच को सुगम बनाती है।
- यह सभी भाग लेने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को वैधानिक कर छूट प्रदान करती है।
- यह विशेष रूप से एआई (AI) स्टार्टअप्स के लिए एक संप्रभु उद्यम पूंजी कोष (सोवरेन वेंचर कैपिटल फंड) बनाती है।
- यह सभी पंजीकृत कंपनियों के लिए अनिवार्य सीएसआर (CSR) फंडिंग का निर्देश देती है।

उत्तर: (a)

व्याख्या

इस योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि यह प्रत्यक्ष बजटीय अनुदान या कर प्रोत्साहन प्रदान करने के बजाय कॉर्पोरेट विशेषज्ञता, मार्गदर्शन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और बाजार तक पहुंच का लाभ उठाने का प्रयास करती है।

UPSC ट्रेप परीक्षक आकर्षक वित्तीय विकल्पों को शामिल कर सकता है, भले ही यह योजना अनिवार्य रूप से एक पारिस्थितिकी तंत्र-निर्माण (इकोसिस्टम-बिल्डिंग) पहल है।

3. बिटचैट रिपोजिटरीज (BitChat Repositories) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सोर्स कोड की सार्वजनिक उपलब्धता सुरक्षा संरचना (सुरक्षा आर्किटेक्चर) के स्वतंत्र सत्यापन को सक्षम बनाती है, लेकिन यह स्वयं सॉफ्टवेयर सुरक्षा की गारंटी नहीं देती है।
2. एक विकेंद्रीकृत मैसेजिंग प्रोटोकॉल हर परिचालन स्थिति के तहत अनिवार्य रूप से विफलता के सभी एकल बिंदुओं (सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलियर) को समाप्त कर देता है।
3. ओपन-सोर्स रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर कमजोरियों की समुदाय-संचालित पहचान और सुधार की अनुमति देती हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? (a) केवल एक (b) केवल दो (c) तीनों (d) कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या

- **कथन 1 सही है।** ओपन-सोर्स कोड पारदर्शिता बढ़ाता है लेकिन कार्यान्वयन की त्रुटियों (इम्प्लीमेंटेशन फ्लॉज़) को समाप्त नहीं कर सकता है।
- **कथन 2 गलत है।** विकेंद्रीकरण केंद्रीयकृत अवसंरचना पर निर्भरता को कम करता है लेकिन विफलता के हर संभावित बिंदु को समाप्त नहीं कर सकता है।
- **कथन 3 सही है।** सामुदायिक लेखा परीक्षा (कम्युनिटी ऑडिटिंग) ओपन-सोर्स रिपोजिटरी की प्रमुख शक्तियों में से एक है।

UPSC ट्रेप UPSC पारदर्शिता, सुरक्षा, गोपनीयता और लचीलेपन (रेजिलिएंस) के बीच तेजी से अंतर करता है, जो परस्पर संबंधित हैं लेकिन अलग-अलग अवधारणाएँ हैं।

4. किमी के3 एआई मॉडल (Kimi K3 AI Model) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मिक्सचर-ऑफ-एक्सपर्ट्स (MoE) आर्किटेक्चर में राउटिंग तंत्र (रूटिंग मैकेनिज्म) अनुमान (इनफरेंस) के दौरान केवल कुछ चुनिंदा एक्सपर्ट नेटवर्क को ही सक्रिय करता है।
2. MoE मॉडल में मापदंडों (पैरामीटर्स) की कुल संख्या बढ़ाने से समान अनुपात में प्रति उत्पन्न टोकन की कम्प्यूटेशनल लागत अनिवार्य रूप से बढ़ जाती है।
3. विरल सक्रियण (स्पार्स एक्टिवेशन) का उद्देश्य कम्प्यूटेशनल दक्षता बनाए रखते हुए स्केलेबिलिटी में सुधार करना है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? (a) केवल एक (b) केवल दो (c) तीनों (d) कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या

- **कथन 1 सही है।** MoE मॉडल प्रत्येक टोकन के लिए केवल चयनित विशेषज्ञों (एक्सपर्ट्स) को सक्रिय करते हैं।
- **कथन 2 गलत है।** चूंकि विशेषज्ञों का केवल एक उपसमुच्चय (सबसेट) ही सक्रिय होता है, इसलिए कम्प्यूटेशनल लागत अनिवार्य रूप से कुल मापदंडों के अनुपात में नहीं बढ़ती है।
- **कथन 3 सही है।** विरल सक्रियण (स्पार्स एक्टिवेशन) MoE आर्किटेक्चर की मुख्य विशेषता है।

UPSC ट्रेप UPSC यह परीक्षण कर सकता है कि क्या अभ्यर्थी गलत तरीके से यह मान लेते हैं कि अधिक मापदंडों का मतलब हमेशा आनुपातिक रूप से उच्च गणना (कम्प्यूटेशन) होता है।

5. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एनबीए (NBA) जैविक विविधता अधिनियम के तहत भारत के पहुंच और लाभ साझाकरण (Access and Benefit Sharing - ABS) ढांचे को लागू करने के लिए नामित राष्ट्रीय प्राधिकरण है।
2. शोध उद्देश्यों के लिए भारत से जैविक संसाधन प्राप्त करने का इरादा रखने वाला प्रत्येक विदेशी व्यक्ति या कंपनी एनबीए (NBA) की मंजूरी के बिना ऐसा कर सकता है यदि शोध किसी भारतीय संस्थान के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है।
3. जैव विविधता प्रबंधन समितियां (BMCs) मुख्य रूप से स्थानीय स्व-शासन संस्थानों के स्तर पर कार्य करती हैं।
4. जैविक संसाधनों तक विदेशी पहुंच से जुड़े मामलों में राज्य जैव विविधता बोर्डों के पास राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के समान वैधानिक शक्तियां होती हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? (a) केवल एक (b) केवल दो (c) केवल तीन (d) सभी चार

उत्तर: (b)

व्याख्या

- **कथन 1 सही है।** एनबीए (NBA) पहुंच और लाभ साझाकरण (ABS) के लिए भारत का शीर्ष वैधानिक प्राधिकरण है।
- **कथन 2 गलत है।** विदेशी पहुंच विनियमित बनी रहती है और जैविक विविधता ढांचे के तहत अनुमोदन की आवश्यकताएं जारी रहती हैं।
- **कथन 3 सही है।** जैव विविधता प्रबंधन समितियां (BMCs) स्थानीय निकायों द्वारा गठित की जाती हैं।
- **कथन 4 गलत है।** विदेशी संस्थाओं से जुड़े मामले मुख्य रूप से राज्य जैव विविधता बोर्डों के नहीं, बल्कि एनबीए (NBA) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

UPSC ट्रेप कई अभ्यर्थी एनबीए (NBA), राज्य जैव विविधता बोर्डों और जैव विविधता प्रबंधन समितियों के संबंधित अधिकार क्षेत्रों के बीच भ्रमित हो जाते हैं।

6. टॉरिक चेरसोनीज का प्राचीन शहर और उसके चोरा (Chora) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह स्थल काला सागर के उत्तरी तट पर क्रीमिया प्रायद्वीप पर स्थित है।
2. "चोरा" (Chora) शब्द का तात्पर्य प्राचीन ग्रीक नगर-राज्य से जुड़े व्यवस्थित रूप से नियोजित कृषि ग्रामीण इलाके (कृषि पृष्ठभूमि) से है।
3. यह स्थल ग्रीक, रोमन और बीजान्टिन प्रभावों को दर्शाने वाले एक निरंतर सांस्कृतिक अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है।
4. यूनेस्को (UNESCO) का नामांकन विशेष रूप से इसके सैन्य किलाबंदियों पर आधारित है, जिसमें इसके कृषि परिदृश्य की कोई मान्यता नहीं है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? (a) केवल एक (b) केवल दो (c) केवल तीन (d) सभी चार

उत्तर: (c)

व्याख्या

- कथन 1 सही है। यह स्थल क्रीमिया प्रायद्वीप में सेवस्तोपोल के पास स्थित है।
- कथन 2 सही है। ग्रीक दुनिया में, 'चोरा' ने शहरी बस्ती का समर्थन करने वाले ग्रामीण कृषि क्षेत्र को दर्शाया।
- कथन 3 सही है। यह स्थल क्रमिक ग्रीक, रोमन और बीजान्टिन कब्जों के साक्ष्य को संरक्षित करता है।
- कथन 4 गलत है। यूनेस्को केवल किलाबंदियों को ही नहीं, बल्कि शहरी पुरातात्विक अवशेषों और असाधारण रूप से संरक्षित कृषि परिदृश्य (चोरा) दोनों को मान्यता देता है।

UPSC ट्रेप परीक्षक "चोरा" (Chora) शब्द के अर्थ का परीक्षण कर सकता है, जिसे कई उम्मीदवार गलत तरीके से एक संगठित कृषि क्षेत्र के बजाय एक किलेबंदी या गढ़ (साइटडेल) समझ लेते हैं।

दैनिक अभ्यास हेतु विषय आधारित प्रश्न

प्रश्न 1. "वैश्वीकरण ने भारतीय परिवार को एक पारंपरिक संस्था से एक गतिशील सामाजिक इकाई में बदल दिया है, जिससे अवसर और चुनौतियाँ दोनों उत्पन्न हुई हैं।" भारत में परिवार प्रणाली पर वैश्वीकरण के प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

उत्तर

परिचय वैश्वीकरण का तात्पर्य दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं, समाजों, संस्कृतियों और प्रौद्योगिकियों के बढ़ते एकीकरण से है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से, वैश्वीकरण ने भारत की सामाजिक संस्थाओं, विशेष रूप से परिवार को

गहराई से प्रभावित किया है। जहाँ इसने शिक्षा, रोजगार, प्रवासन और डिजिटल कनेक्टिविटी के माध्यम से अवसरों का विस्तार किया है, वहीं इसने पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं, मूल्यों और संबंधों को भी परिवर्तित किया है।

भारतीय परिवार प्रणाली पर वैश्वीकरण का प्रभाव

1. संयुक्त परिवार से एकल (न्यूक्लियर) परिवार की ओर बदलाव

- बढ़ते शहरीकरण और प्रवासन ने एकल परिवारों को बढ़ावा दिया है।
- शहरों में रोजगार के अवसरों ने पारंपरिक संयुक्त परिवार संरचनाओं पर निर्भरता कम कर दी है।
- अधिक गोपनीयता (प्राइवसी) और व्यक्तिगत स्वायत्तता का उदय हुआ है।

2. लैंगिक भूमिकाओं में बदलाव

- बढ़ती महिला शिक्षा और कार्यबल में भागीदारी ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में सुधार किया है।
- घरों के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक समतावादी (एगेलिटेरियन) हो गई है।
- पारंपरिक पितृसत्तात्मक मानदंड धीरे-धीरे कमजोर हो रहे हैं।

3. सामूहिकता पर व्यक्तिवाद की प्राथमिकता

- व्यक्तिगत आकांक्षाओं और करियर के विकल्पों पर अधिक जोर दिया जा रहा है।
- अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाहों की स्वीकृति में वृद्धि हुई है।
- स्वतंत्र जीवन शैली के प्रति प्राथमिकता बढ़ रही है।

4. तकनीकी परिवर्तन

- डिजिटल संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय/पारराष्ट्रीय परिवार आपस में जुड़े रहते हैं।
- ऑनलाइन शिक्षा और वर्क-फ्रॉम-होम (घर से काम) ने पारिवारिक बातचीत को नया रूप दिया है।
- हालाँकि, अत्यधिक डिजिटल निर्भरता आमने-सामने के संवाद को कम कर सकती है।

5. जनसांख्यिकीय परिवर्तन

- देर से विवाह और घटती प्रजनन दर।
- अलग रहने वाले बुजुर्गों की बढ़ती जनसंख्या।
- एकल-व्यक्ति (सिंगल-पर्सन) परिवारों की बढ़ती संख्या।

सकारात्मक परिणाम

- शिक्षा के व्यापक अवसर।
- महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण।
- स्वास्थ्य सेवा और वैश्विक ज्ञान तक बेहतर पहुंच।
- बढ़ी हुई सामाजिक गतिशीलता।
- विविध संस्कृतियों और मूल्यों का बेहतर अनुभव (एक्सपोज़र)।

चुनौतियाँ

- पारंपरिक सहायता प्रणालियों में गिरावट।
- कार्य और जीवन के बीच बढ़ता असंतुलन (वर्क-लाइफ इम्बैलेंस)।
- शहरी क्षेत्रों में तलाक और अलगाव के बढ़ते मामले।
- बुजुर्गों में मानसिक तनाव और अकेलापन।
- उपभोक्तावाद और पारिवारिक मूल्यों का कमजोर होना।

समालोचनात्मक विश्लेषण वैश्वीकरण ने सभी परिवारों को एक समान रूप से प्रभावित नहीं किया है। शहरी और शिक्षित परिवारों ने अधिक संरचनात्मक परिवर्तन का अनुभव किया है, जबकि ग्रामीण परिवार अभी भी कई पारंपरिक विशेषताओं को बनाए हुए हैं। इसके साथ ही, तकनीक ने "आभासी संयुक्त परिवारों" (वर्चुअल जॉइंट फैमिलीज) का निर्माण किया है, जहाँ भौगोलिक दूरी के बावजूद भावनात्मक जुड़ाव बना रहता है।

एक संतुलित दृष्टिकोण यह सुझाव देता है कि चुनौती स्वयं वैश्वीकरण में नहीं है, बल्कि परिवार-अनुकूल कार्यस्थलों, सामुदायिक सहायता प्रणालियों और मूल्य-आधारित शिक्षा के माध्यम से इसके सामाजिक परिणामों को प्रबंधित करने में है।

निष्कर्ष वैश्वीकरण ने भारतीय परिवार को अधिक अनुकूलनशील, समावेशी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर पुनर्परिभाषित किया है। इसके साथ ही, अंतर-पीढ़ीगत जुड़ाव, बुजुर्गों की देखभाल और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखना अनिवार्य बना हुआ है। भारतीय परिवार का भविष्य आधुनिक आकांक्षाओं को पारंपरिक सामाजिक एकजुटता के साथ जोड़ने में निहित है।

प्रश्न 2. "दल-बदल विरोधी कानून ने राजनीतिक स्थिरता को मजबूत किया है, लेकिन विधायी जवाबदेही को कमजोर किया है।" भारत में दल-बदल विरोधी कानून के कामकाज का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसकी कमियों को दूर करने के लिए सुधारों के सुझाव दीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

उत्तर

परिचय दल-बदल विरोधी कानून को संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से पेश किया गया था। इसका उद्देश्य पद के लालच या व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित राजनीतिक दल-बदल पर अंकुश लगाना है, जिससे संसदीय लोकतंत्र में स्थिरता को बढ़ावा मिल सके।

मुख्य विशेषताएं

- यह संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों पर लागू होता है।
- अयोग्यता तब होती है जब कोई सदस्य:
 - स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।
 - पूर्व अनुमति के बिना पार्टी व्हिप के विपरीत मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है।
- 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 ने टूट (स्प्लिट) के लिए छूट को हटा दिया और केवल विलय (मर्जर) को बरकरार रखा (जिसके लिए दो-तिहाई सदस्यों की आवश्यकता होती है)।

महत्व

1. राजनीतिक स्थिरता

- सरकार में बार-बार होने वाले परिवर्तनों को रोकता है।
- अवसरवादी दलबदल (आया राम, गया राम की राजनीति) को कम करता है।

2. दल प्रणाली को मजबूती

- दलीय अनुशासन को प्रोत्साहित करता है।
- चुनावी जनादेश का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

3. लोकतांत्रिक जनादेश की सुरक्षा

- विधायकों को व्यक्तिगत लाभ के लिए मतदाताओं के विश्वास के साथ विश्वासघात करने से रोकता है।

सीमाएं

- **सभी विषयों पर व्हिप:** सदस्य सामान्य विधेयकों पर भी अपनी अंतरात्मा के अनुसार मतदान नहीं कर सकते हैं। यह विचारशील/विमर्शकारी लोकतंत्र को कमजोर करता है।
- **अध्यक्ष (स्पीकर) की भूमिका:** अध्यक्ष अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेता है। कई मामलों में निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं।
- **निर्णयों में देरी:** कोई संवैधानिक समय सीमा तय नहीं है। विलंबित निर्णयों से सरकार गठन में हेरफेर हो सकता है।
- **बड़े पैमाने पर दलबदल:** दो-तिहाई विलय के प्रावधान ने कभी-कभी बड़े पैमाने पर दलबदल को सक्षम बनाया है।

न्यायिक दृष्टिकोण

- **किहोटो होलोहान बनाम जाचिलू (1992):** न्यायिक समीक्षा की अनुमति देते हुए कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
- **केशम मेघचंद्र सिंह (2020):** उच्चतम न्यायालय ने सिफारिश की कि अध्यक्ष असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, आमतौर पर लगभग तीन महीने की उचित अवधि के भीतर दलबदल के मामलों का फैसला करें।

सुझाए गए सुधार

- बाध्यकारी व्हिप को केवल निम्नलिखित तक सीमित करें:
 - विश्वास प्रस्ताव।
 - अविश्वास प्रस्ताव।
 - धन विधेयक (मनी बिल)।
- न्यायनिर्णयन (अयोग्यता तय करने) की शक्तियों को अध्यक्ष से एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) या चुनाव आयोग द्वारा समर्थित तंत्र में स्थानांतरित करें।
- याचिकाओं का निपटारा करने के लिए एक वैधानिक समय सीमा निर्धारित करें।

- कार्यवाही में पारदर्शिता बढ़ाएं।

निष्कर्ष दल-बदल विरोधी कानून ने निस्संदेह सरकारी स्थिरता को बढ़ाया है, लेकिन इसने विधायी स्वतंत्रता को भी सीमित कर दिया है। भारत के संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए दलीय अनुशासन और लोकतांत्रिक बहस के बीच संतुलन बनाने हेतु इस कानून में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है।

प्रश्न 3. भारत एक बहुलवादी स्वास्थ्य प्रणाली का पालन करता है जिसमें विभिन्न चिकित्सा प्रणालियाँ सह-अस्तित्व में हैं। भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) प्राप्त करने में विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों के महत्व की चर्चा कीजिए। उनके एकीकरण से जुड़ी चुनौतियों का भी परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

उत्तर

परिचय भारत के पास दुनिया की सबसे विविध स्वास्थ्य परंपराओं में से एक है, जिसमें आधुनिक चिकित्सा (एलोपैथी) और पारंपरिक प्रणालियाँ शामिल हैं जिन्हें आयुष (AYUSH)—आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी के तहत सामूहिक रूप से बढ़ावा दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ये प्रणालियाँ निवारक (प्रिवेंटिव), संवर्द्धक (प्रमोटिव) और उपचारात्मक (क्युरेटिव) स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इनका वैज्ञानिक एकीकरण सतत विकास लक्ष्य 3 (SDG 3) के तहत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

भारत में प्रमुख चिकित्सा प्रणालियाँ

- आयुर्वेद:** सबसे पुरानी समग्र चिकित्सा प्रणालियों में से एक। त्रिदोष (वात, पित्त और कफ) के संतुलन पर जोर देता है। निवारक स्वास्थ्य सेवा और जीवन शैली में बदलाव पर गहरा ध्यान केंद्रित करता है।
- योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा:** शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देता है। जीवन शैली विकारों, तनाव प्रबंधन और पुनर्वास में प्रभावी है।
- यूनानी:** शारीरिक द्रव्यों (ह्यूमर्स) के बीच संतुलन की अवधारणा पर आधारित। भारत के कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता है।
- सिद्ध:** दक्षिण भारत में उत्पन्न। विशेष रूप से पुरानी (क्रोनिक) बीमारियों के प्रबंधन के लिए मान्यता प्राप्त है।
- होम्योपैथी:** "समः समम् शमयति" (लाइक क्योर्स लाइक) के सिद्धांत पर आधारित। पुरानी और एलर्जी संबंधी स्थितियों के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है।
- आधुनिक चिकित्सा (एलोपैथी):** साक्ष्य-आधारित (एविडेंस-बेस्ड) प्रणाली। आपातकालीन देखभाल, सर्जरी, संक्रामक रोगों और गंभीर देखभाल (क्रिटिकल केयर) के लिए अत्यधिक प्रभावी।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के लिए महत्व

- पहुंच में सुधार:** आयुष चिकित्सक ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को मजबूत करते हैं।
- निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा:** योग और आयुर्वेद स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे गैर-संचारी रोगों का बोझ कम होता है।
- किफायती स्वास्थ्य सेवा:** कई पारंपरिक उपचार तुलनात्मक रूप से किफायती हैं।

- **पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण:** भारत की समृद्ध औषधीय विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों की रक्षा करता है।
- **मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा:** भारत आयुर्वेद और योग-आधारित वेलनेस के लिए एक वैश्विक गंतव्य के रूप में उभरा है।
- **एकीकृत स्वास्थ्य सेवा का समर्थन:** उचित एकीकरण रोगी-केंद्रित उपचार विकल्प प्रदान कर सकता है।

चुनौतियाँ

- कुछ थेरेपी के लिए सीमित उच्च गुणवत्ता वाले नैदानिक साक्ष्य (क्लीनिकल एविडेंस)।
- मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण से जुड़ी समस्याएं।
- शिक्षा और नैदानिक अभ्यासों में भिन्नता।
- मजबूत फार्माकोविजिलेंस (औषधि सतर्कता) की आवश्यकता।
- विभिन्न प्रणालियों की भूमिका और सीमाओं के संबंध में जनता में गलतफहणियाँ।
- अंतर-विषयक (इंटरडिसिप्लिनरी) अनुसंधान की कमी।

सरकारी पहल

- आयुष मंत्रालय
- राष्ट्रीय आयुष मिशन
- आयुष्मान भारत
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
- डब्ल्यूएचओ (WHO) ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (जामनगर)

आगे का रास्ता

- पारंपरिक चिकित्सा के साक्ष्य-आधारित सत्यापन को बढ़ावा देना।
- अंतर-विषयक चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करना।
- दवाओं और उपचार प्रोटोकॉल का मानकीकरण करना।
- नैदानिक अनुसंधान में निवेश बढ़ाना।
- एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष भारत की बहुलवादी स्वास्थ्य प्रणाली एक अनूठी ताकत है। विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों को प्रतिस्पर्धी मॉडल के रूप में देखने के बजाय, सस्ती, सुलभ और रोगी-केंद्रित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए उनका वैज्ञानिक रूप से एकीकरण किया जाना चाहिए। आधुनिक चिकित्सा और साक्ष्य-आधारित पारंपरिक ज्ञान का संतुलित संयोजन सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में पर्याप्त योगदान दे सकता है।

प्रश्न 4. "सत्यनिष्ठा (Integrity) केवल एक व्यक्तिगत गुण नहीं है बल्कि नैतिक शासन की नींव है।" सार्वजनिक प्रशासन में सत्यनिष्ठा के महत्व की चर्चा कीजिए। भारत में नैतिक शासन को मजबूत करने के लिए संस्थागत उपायों का सुझाव दीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

उत्तर

परिचय सत्यनिष्ठा (Integrity) का तात्पर्य सार्वजनिक और निजी दोनों जीवन में नैतिक मूल्यों, ईमानदारी, निष्पक्षता और जवाबदेही का अटूट पालन करना है। सार्वजनिक प्रशासन में, सत्यनिष्ठा नैतिक शासन की आधारशिला है क्योंकि यह जनता के विश्वास को मजबूत करती है, पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और सार्वजनिक सेवाओं के कुशल वितरण को बढ़ावा देती है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) ने नैतिकता को सुशासन की नींव बताया है।

सार्वजनिक प्रशासन में सत्यनिष्ठा का महत्व

- जन विश्वास को बढ़ाता है:** नागरिक उन संस्थाओं पर भरोसा विकसित करते हैं जो ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करती हैं।
- भ्रष्टाचार को रोकता है:** नैतिक निर्णय लेने से निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद के दुरुपयोग में कमी आती है।
- कानून के शासन को बढ़ावा देता है:** निर्णय व्यक्तिगत हितों के बजाय संवैधानिक मूल्यों से निर्देशित होते हैं।
- कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करता है:** संसाधनों का उपयोग इच्छित सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करता है:** जवाबदेही और पारदर्शिता से संस्थागत वैधता में सुधार होता है।
- पेशेवर विश्वसनीयता का निर्माण करता है:** ईमानदार अधिकारी सहकर्मियों और नागरिकों के बीच समान रूप से विश्वास पैदा करते हैं।

सत्यनिष्ठा के समक्ष चुनौतियाँ

- राजनीतिक हस्तक्षेप
- हितों का टकराव (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ़ इंटररेस्ट)
- भ्रष्टाचार
- कमजोर जवाबदेही तंत्र
- नैतिक प्रशिक्षण की कमी
- अनुशासनात्मक कार्यवाही में देरी

संस्थागत उपाय

- कानूनी उपाय:**
 - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
 - सूचना का अधिकार अधिनियम
 - विसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम

- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम

- **प्रशासनिक उपाय:**

- ई-गवर्नेंस
- सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट)
- नागरिक चार्टर (सिटीजन चार्टर)
- प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन
- पारदर्शी भर्ती और खरीद प्रणाली

- **नैतिक उपाय:**

- निरंतर नैतिकता प्रशिक्षण
- उदाहरण प्रस्तुत करके नेतृत्व (लीडरशिप बाय एग्जांपल)
- आचार संहिता और व्यवहार संहिता (कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट)
- मूल्य-आधारित सिविल सेवा शिक्षा

संबंधित नैतिक विचारक

- **महात्मा गांधी:** साधन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि साध्य।
- **मैक्स वेबर:** तर्कसंगत-कानूनी प्राधिकरण निष्पक्ष प्रशासन को मजबूत करता है।
- **सरदार वल्लभभाई पटेल:** सिविल सेवक भारत का "स्टील फ्रेम" हैं।

केस उदाहरण आपदा प्रबंधन के दौरान, सत्यनिष्ठा वाला एक अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि राहत सामग्री बिना किसी भेदभाव या हेरफेर के इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे, जिससे सार्वजनिक संसाधनों और मानव गरिमा दोनों की रक्षा होती है।

निष्कर्ष सत्यनिष्ठा शासन को केवल प्रशासन से जनसेवा में बदल देती है। भारत की प्रशासनिक प्रणाली में सत्यनिष्ठा को पोषित करने के लिए मजबूत संस्थाएं, पारदर्शी प्रक्रियाएं, नैतिक नेतृत्व और जवाबदेह शासन अपरिहार्य हैं। नैतिक शासन अंततः संवैधानिक लोकतंत्र और समावेशी विकास को मजबूत करता है।

प्रश्न 5. परीक्षा सुधारों पर नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली कार्यबल (टास्क फोर्स) तकनीक, शासन सुधारों और संस्थागत जवाबदेही का लाभ उठाकर भारत के परीक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने का प्रयास करती है। टास्क फोर्स की प्रमुख सिफारिशों की चर्चा कीजिए। उनके महत्व के साथ-साथ उनके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

उत्तर

परिचय भारत के परीक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए व्यापक सुधारों की सिफारिश करने हेतु नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में परीक्षा सुधार टास्क फोर्स का गठन किया गया था। टास्क फोर्स को सार्वजनिक परीक्षाओं में निष्पक्षता, पारदर्शिता, सुरक्षा, तकनीकी लचीलेपन और शासन में सुधार के उपायों का सुझाव देने का काम सौंपा गया

था, विशेष रूप से प्रश्न पत्र लीक, प्रतिरूपण (इंपर्सनिशन), साइबर धोखाधड़ी और लॉजिस्टिक्स संबंधी बढ़ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में। इसकी सिफारिशों का उद्देश्य एक विश्वसनीय, प्रौद्योगिकी-सक्षम और भविष्य के लिए तैयार परीक्षा प्रणाली का निर्माण करना है।

टास्क फोर्स की आवश्यकता क्यों थी?

- प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की बार-बार होने वाली घटनाएँ।
- डिजिटल तकनीकों का बढ़ता उपयोग जिसके लिए मजबूत साइबर सुरक्षा की आवश्यकता है।
- विभिन्न एजेंसियों के बीच मानकीकृत परीक्षा प्रक्रियाओं की आवश्यकता।
- भर्ती परीक्षाओं में घटता जन विश्वास।
- लाखों उम्मीदवारों को शामिल करने वाली राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं का बढ़ता पैमाना।

टास्क फोर्स की प्रमुख सिफारिशें

- डिजिटल-प्रथम (डिजिटल-फर्स्ट) परीक्षा पारिस्थितिकी तंत्र**
 - जहाँ भी संभव हो, कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) की ओर क्रमिक बदलाव।
 - जिलों में सुरक्षित परीक्षा केंद्रों का विस्तार।
 - डिजिटल परीक्षा बुनियादी ढांचे का मानकीकरण।
- साइबर सुरक्षा को मजबूत करना**
 - प्रश्न पत्रों का बहु-स्तरीय एन्क्रिप्शन।
 - सुरक्षित ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल।
 - संदिग्ध डिजिटल गतिविधियों के लिए एआई (AI) आधारित निगरानी।
 - नियमित साइबर सुरक्षा ऑडिट।
- संस्थागत सुधार**
 - परीक्षा अधिकारियों की स्पष्ट रूप से परिभाषित जवाबदेही।
 - परीक्षाओं के हर चरण के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs)।
 - परीक्षा एजेंसियों के लिए स्वतंत्र ऑडिट तंत्र।
- प्रौद्योगिकी एकीकरण**
 - एआई-आधारित विसंगति पहचान (अनोमली डिटेक्शन)।
 - उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक सत्यापन।
 - डिजिटल पहचान सत्यापन।
 - रियल-टाइम निगरानी डैशबोर्ड।
- क्षमता निर्माण**

- परीक्षा कर्मियों का नियमित प्रशिक्षण।
- साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम।
- परीक्षा केंद्रों के लिए प्रमाणन मानक।

6. डेटा गवर्नेंस

- उम्मीदवार के डेटा का सुरक्षित भंडारण।
- प्राइवेसी-बाय-डिजाइन आर्किटेक्चर।
- डेटा सुरक्षा सिद्धांतों का अनुपालन।
- परीक्षा डेटाबेस तक नियंत्रित पहुंच।

सिफारिशों का महत्व

- **विश्वसनीयता बढ़ाता है:** एक पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा प्रणाली जनता के विश्वास को बहाल करती है।
- **योग्यता (मेरिटोक्रेसी) को बढ़ावा देता है:** अनुचित प्रथाओं के अवसरों को कम करता है और समान अवसर को मजबूत करता है।
- **प्रशासनिक दक्षता में सुधार करता है:** स्वचालन (ऑटोमेशन) मानवीय त्रुटि को कम करता है तथा मूल्यांकन और परिणाम प्रसंस्करण को तेज करता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है:** सुरक्षित डिजिटल सिस्टम परीक्षा से जुड़ी संगठित धोखाधड़ी को कम करते हैं।
- **डिजिटल इंडिया का समर्थन करता है:** सार्वजनिक प्रशासन में आधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे को अपनाने को बढ़ावा देता है।
- **बेहतर शासन की सुविधा प्रदान करता है:** डेटा-संचालित निगरानी साक्ष्य-आधारित नीतिगत हस्तक्षेपों को सक्षम बनाती है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- **डिजिटल विभाजन:** ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में अपर्याप्त डिजिटल बुनियादी ढांचे का सामना करना पड़ सकता है।
- **साइबर सुरक्षा जोखिम:** परिष्कृत साइबर हमले तेजी से विकसित हो रहे हैं।
- **वित्तीय बाधाएं:** बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है।
- **क्षमता संबंधी बाधाएं:** कई परीक्षा एजेंसियों के कर्मियों को प्रशिक्षित करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
- **गोपनीयता संबंधी चिंताएं:** बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और एआई का उपयोग डेटा सुरक्षा सुरक्षा उपायों के अनुरूप होना चाहिए।
- **संस्थागत समन्वय:** प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार, राज्यों, परीक्षा एजेंसियों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है।

आगे का रास्ता

- एक राष्ट्रीय परीक्षा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क विकसित करना।
- आवधिक ऑडिट के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय परीक्षा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करना।
- परीक्षा केंद्रों के लिए अनिवार्य साइबर सुरक्षा प्रमाणन लागू करना।
- मानवीय पर्यवेक्षण (ह्यूमन ओवरसाइट) के साथ जिम्मेदारी से एआई को अपनाना।
- परीक्षा में धांधली के खिलाफ कानूनी निरोध (लीगल डिटेरेंस) को मजबूत करना।
- वंचित जिलों में उच्च गुणवत्ता वाले सीबीटी (CBT) केंद्रों का विस्तार करना।
- नियमित मॉक ऑडिट और आपदा पुनर्प्राप्ति (डिजास्टर रिकवरी) अभ्यास आयोजित करना।

निष्कर्ष नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली कार्यबल की सिफारिशें एक पारदर्शी, सुरक्षित, प्रौद्योगिकी-संचालित और भरोसेमंद परीक्षा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। हालाँकि, केवल तकनीक ही परीक्षा की धांधली को समाप्त नहीं कर सकती। टिकाऊ सुधारों के लिए संस्थागत जवाबदेही, मजबूत कानूनी सुरक्षा उपायों, साइबर सुरक्षा तैयारियों, प्रशासनिक क्षमता और सार्वजनिक विश्वास के संयोजन की आवश्यकता होती है। यदि प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो ये सुधार डिजिटल इंडिया और सुशासन के व्यापक उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए भारत की शिक्षा और भर्ती प्रणालियों की विश्वसनीयता को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत कर सकते हैं।

